सिटी बाइट्स

आरा से नालंदा तक फैला था ब्राउन शुगर का नेटवर्क, पुलिस ने चार तस्करों को दबोचा

बिहारशरीफ. नालंदा में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरजिला गिरोह के चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. इसकी जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ- 1 अमरनाथ ने बताया कि तस्करों के पास से ब्राउन शुगर की 82 पुड़िया बरामद की गयी हैं, जिनका कागज सहित कुल वजन 42.72 ग्राम है. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किये जा रहे सात मोबाइल फोन भी जब्त किये हैं. गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ में आरा से मादक पदार्थ मंगाकर नालंदा में बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार, 15 अक्तूबर की सुबह लहेरी थाना पुलिस और नालंदा साइबर थाना की संयुक्त टीम को गुप्त सूचना मिली कि बिहारशरीफ के शिवपुरी मोहल्ले में अनेंट फिटनेस जिम के पास स्थित एक किराये के मकान में ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की जा रही है. सूचना के सत्यापन के बाद बीडीओ की मौजूदगी में चिह्नित मकान पर छापेमारी की गयी. पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास कर रहे तीन युवकों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया. तलाशी के दौरान मुख्य आरोपित अंकुश कुमार के पास से ब्राउन शुगर की 82 पुड़िया मिलीं. पकड़े गये युवकों से पूछताछ और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने मुख्य आपूर्तिकर्ता नीतीश कुमार उर्फ नाटा को नालंदा थाना क्षेत्र के गिद्धि पोखर के पास से गिरफ्तार किया. गिरोह आरा से थोक में ब्राउन शुगर मंगाता था और यहां छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर नशा करने वालों को बेचता था.

ज्वेलर्स व्यवसायी से तीन लाख के जेवर की लूट

बेगूसराय. गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मालीपुर-दौलतपुर पथ पर नटीयाही मोड़ के समीप शुक्रवार की देर शाम बाइक सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने ज्वेलर्स व्यवसायी से करीब तीन लाख रुपये के सोना और नकदी लूट ली. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की. वहीं, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रातभर विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली. लूट के शिकार गढ़पुरा बाजार स्थित मदीना ज्वेलर्स के मालिक मोहम्मद नइम ने बताया कि वह रोज की तरह शुक्रवार की शाम दुकान बंद कर अपने कारीगर राकेश कुमार के साथ बाइक से रोसड़ा स्थित घर जा रहे थे. इसी दौरान नटीयाही मोड़ के समीप पहले से घात लगाए तीन अपराधियों ने उन्हें रोक लिया. इनमें एक अपराधी हेलमेट पहने हुए था, जबकि दो के चेहरे खुले थे. अपराधियों ने सबसे पहले दुकान और तिजोरी की चाबी के साथ उनका मोबाइल फोन छीन लिया. इसके बाद 15 हजार रुपये नकद और करीब 20 ग्राम सोना लूट लिया.

मंदिर में उमड़ी भीड़, कोसी में बहा दूध का नीर

महिषी (सहरसा).महिषी प्रखंड के महपुरा स्थित संत कारु बाबा मंदिर में शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. बिहार के विभिन्न जिलों के साथ नेपाल सीमा क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोदुग्ध लेकर पहुंचे. मंदिर में दूध, अरवा चावल, लाठी, खड़ाऊं सहित विभिन्न सामग्रियां चढ़ाकर लोगों ने परिवार की सुख-शांति की कामना की. मान्यता है कि इस दिन मंदिर से बहने वाले दूध के नीर से माता कोसी तृप्त होती हैं और मंदिर को कटाव से सुरक्षा मिलती है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, संत कारु बाबा भगवान शिव के उपासक और गोसेवा के प्रति समर्पित थे. वे नियमित रूप से बाबा नकुचेश्वर नाथ सहित कुशेश्वर स्थान में अभिषेक करते थे. मान्यता है कि कोसी की बाढ़ के दौरान गोपालन के सिलसिले में बाबा अपने सहयोगियों के साथ नेपाल तक जाते थे. इसी वजह से नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में भी बाबा के प्रति गहरी आस्था है.

प्रसूता की मौत पर बवाल, चार घंटे सड़क जाम

सुपौल.जिला मुख्यालय में सुपौल-सहरसा मुख्य मार्ग पर टेंपो स्टैंड के समीप स्थित एक निजी अस्पताल में शनिवार को प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई. घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया. वे जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने और संबंधित चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. करीब चार घंटे तक चले जाम के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर परिजन शांत हुए. इसके बाद यातायात बहाल हुआ.

हाइकोर्ट ने पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में नकली नोटों की तस्करी के आरोपी मोहम्मद वारिस की जमानत याचिका खारिज की

पटना.हाइकोर्ट ने पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में नकली भारतीय मुद्रा लाने और उसकी तस्करी के कथित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद वारिस की नियमित जमानत अपील खारिज कर दी है .न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता और आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया . हालांकि, अदालत ने विशेष एनआइए अदालत को मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने और यथा संभव प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश दिया . मामले के अनुसार, पांच सितंबर, 2024 को बिहार पुलिस ने पूर्वी चंपारण जिले में एनएच–28 ए पर खरवा पुल के पास एक लाल रंग की बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों मोहम्मद नाजर सद्दाम, मोहम्मद वारिस और मोहम्मद जाकिर हुसैन को पकड़ा था . पुलिस ने उनके पास से 500 रुपये के 390 कथित जाली नोट बरामद किये थे, जिनकी कुल कीमत एक लाख 95 हजार रुपये बतायी गयी . इनमें से 50 हजार रुपये के नकली नोट वारिस की जेब से बरामद होने का आरोप है . जांच के दौरान कथित तौर पर खुलासा हुआ कि नकली नोट पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत लाये गये थे . इन्हें दिल्ली के रास्ते जम्मू–कश्मीर पहुंचाया जाना था . इस नेटवर्क में राजेश साहनी और कश्मीर निवासी सरफराज उर्फ मुजफ्फर अहमद वानी का नाम भी सामने आने की बात कही गयी . मामले की गंभीरता और कथित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन को देखते हुए दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंप दी . इसके बाद गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गये . जमानत अपील पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि आरोपी पर भारतीय मुद्रा के उच्च मूल्यवर्ग के बड़ी मात्रा में कथित जाली नोट रखने और पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते उन्हें भारत लाने में शामिल होने का आरोप है . अदालत ने मामले के तथ्यों, उपलब्ध सामग्री और आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया .

डंकी रूट से विदेश भेजने और मोटी रकम वसूलने का मामला

विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, पटना से दो आरोपित गिरफ्तार

- विशेष टीम ने एसटीएफ की मदद से की कार्रवाई, हजारों युवाओं को झांसा देने का आरोप

प्रतिनिधि, किशनगंज

विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर सीमांचल के बेरोजगार युवाओं से ठगी और अवैध तरीके से विदेश भेजने के मामले में किशनगंज पुलिस ने दो आरोपितों को पटना से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पूर्णिया जिले के रौटा निवासी हाजी नाहिद गनी और अनगढ़ निवासी मो तवरेज के रूप में हुई है. एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने एसटीएफ के सहयोग से 16 अक्तूबर को यह कार्रवाई की. एसडीपीओ खुसरु सिराज ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपितों पर हाजी नाहिद गनी प्राइवेट लिमिटेड और ताइबा इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स के माध्यम से युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलने का आरोप है. युवाओं को दुबई, सऊदी अरब, थाईलैंड और मलेशिया भेजने का भरोसा दिया जाता था. पुलिस के अनुसार, कथित एजेंटों की मदद से युवाओं को डंकी रूट के जरिए अवैध रूप से विदेश भेजा जाता था. वहां पहुंचने पर उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कराने और धोखाधड़ी के आरोप भी हैं.

1.80 लाख रुपये लेकर थाईलैंड भेजा. विशनपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 47/26 के अनुसार, शिकायतकर्ता मो सुलेमान ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र नूर जफर को विदेश भेजने के नाम पर 1.80 लाख रुपये लिए गए. नौ सितंबर 2026 को उसे पट ना से दिल्ली और फिर थाईलैंड के क्राबी भेजा गया. इसके बाद 18 सितंबर को अवैध तरीके से मलेशिया पहुंचाया गया. पुलिस के मुताबिक, वहां कई युवकों के साथ उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और बाद में एक कंपनी में काम पर लगाया गया. मलेशियाई इमिग्रेशन पुलिस की छापेमारी के दौरान कई युवक गिरफ्तार हुए, जबकि नूरजफर जंगल में छिपकर बच निकला और स्थानीय एजेंट की मदद से भारत लौट आया. कोचाधामन, बहादुरगंज, विशनपुर और रौटा थानों में आरोपितों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

चाय पीने से परिवार के पांच लोगों की तबीयत बिगड़ी, केतली में मरी हुई मिली छिपकली

राघोपुर (वैशाली).राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद पंचायत में शनिवार की सुबह चाय पीने के कारण एक ही घर के पांच सदस्यों की तबीयत अचानक खराब हो गई. सभी को आनन-फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राघोपुर फतेहपुर लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने सभी का उपचार किया. घटना की सूचना मिलते ही लोजपा (आर) के प्रखंड अध्यक्ष राम जीवन पासवान और उपाध्यक्ष जयदयाल राय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली. जानकारी के अनुसार चाय पीने से रामपुर श्यामचंद निवासी मक्खन भगत के पुत्र बृजनंदन भगत, देवनंदन भगत के पुत्र शत्रुघन भगत, शत्रुघन भगत के पुत्र नीरज कुमार, पुत्री झुमकी देवी एवं रिंकी कुमारी बीमार हो गई. घर की महिला ने चाय बनाकर केतली में डाल दी थी. इसी दौरान दरवाजे पर किसी बात को लेकर शोर-शराबा सुनकर वह भागे-भागे बाहर गई. दरवाजे से लौटने के बाद वह केतली से चाय निकाल कर घर के सभी सदस्यों को दे दी. चाय पीने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी तो देखा कि केतली में मरा हुआ गिरगिट पड़ा है. इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ मनीष झा ने बताया कि सभी मरीजों का इलाज किया गया. अब स भी खतरे से बाहर हैं.

पूर्व मध्य रेल

ई-ऑक्शन सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर के अंतर्गत मुजफ्फरपुर–01 यूनिट नार्मल पे एंड यूज शौचालय को (02) दो माह के लिए किये जाने हेतु ई–ऑक्शन का आमंत्रण भारतीय रेल पोर्टल आई.आर.ई.पी.एस. पर किया जाता हैः– **(1) स्टेशन का नामः** मुजफ्फरपुर, **पे एंड यूज का प्रकारः** नार्मल पे एंड यूज टॉयलेट, **कैटलॉग संख्याः** एसपीजे–पीएनयू–एनओआर–73, **अवधिः** ठीका प्रारंभ होने कि तिथि से दो (02) माह के लिए। निविदादाताओं के लिए निर्देश–: **(01) ऑक्शन प्रपत्र की उपलब्धताः** ऑक्शन प्रपत्र आईआरईपीएस के वेबसाइट पर उपलब्ध है **(02) ई–ऑक्शन की तिथि एवं समयः** दिनांक 27.10.2026 को 14:30 बजे **(03) वेबसाइट का विवरण जिसपर ई–ऑक्शन प्रपत्र उपलब्ध हैः** ई–ऑक्शन IREPS के वेबसाइट पर ऑनलाइन डाला जाना है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया वेबसाइट **www.ireps.gov.in.** का अवलोकन करे। किसी प्रकार के मैन्युअल टेंडर स्वीकार नहीं किया जायेगा। **वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समस्तीपुर**

पीआर/1141/एसपीजे/सीओएमएमएल/ईएन/26–27/28

पूर्व मध्य रेल

ई-ऑक्शन सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर के अंतर्गत मुजफ्फरपुर–01 (तीन वर्ष के लिए) यूनिट एवं मुजफ्फरपुर–01 (छः माह के लिए) के लिए नार्मल पे एंड यूज शौचालय किये जाने हेतु ई–ऑक्शन का आमंत्रण भारतीय रेल पोर्टल आई.आर.ई.पी.एस. पर किया जाता हैः– **(1) स्टेशन का नामः** मुजफ्फरपुर (BIC Block Building, South Side), **पे एंड यूज का प्रकारः** नार्मल पे एंड यूज टॉयलेट, **कैटलॉग संख्याः** एसपीजे–पीएनयू–एनओआर–74, **अवधिः** ठीका प्रारंभ होने कि तिथि से तीन वर्षो के लिए **(2) स्टेशन का नामः** मुजफ्फरपुर (Near UTS office towards PF 7/8), **पे एंड यूज का प्रकारः** नार्मल पे एंड यूज टॉयलेट, **कैटलॉग संख्याः** एसपीजे–पीएनयू–एनओआर–74, **अवधिः** ठीका प्रारंभ होने कि तिथि से छः (06) माह के लिए। निविदादाताओं के लिए निर्देश–: **(01) ऑक्शन प्रपत्र की उपलब्धताः** ऑक्शन प्रपत्र आईआरईपीएस के वेबसाइट पर उपलब्ध है **(02) ई–ऑक्शन की तिथि एवं समयः** दिनांक 29.10.2026 को 14:30 बजे **(03) वेबसाइट का विवरण जिसपर ई–ऑक्शन प्रपत्र उपलब्ध हैः** ई–ऑक्शन IREPS के वेबसाइट पर ऑनलाइन डाला जाना है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया वेबसाइट **www.ireps.gov.in.** का अवलोकन करे। किसी प्रकार के मैन्युअल टेंडर स्वीकार नहीं किया जायेगा। **वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समस्तीपुर**

पीआर/1142/एसपीजे/सीओएमएमएल/ईएन/26–27/36

पूर्व मध्य रेल

ई. निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के तरफ से निम्न कार्य हेतु ई निविदा आमंत्रित की जाती है। **(1)कार्य का नाम एवं स्थानः** Survey/Route Plan/Design/Drawings of 132 KV EHT lines from Grid Sub Station to Traction Substations, Survey/Design/ Drawing of EHT line crossings infringing proposed Railway Track & associated OHE works, Wiring diagram, General Power Supply diagram, Sectioning Diagram and Pegging Plans related to OHE work, TSS/SP/SSP location plans surveys and OHE/PSI Design & Drawing of section for New Line/ Doubling projects (NKE-RXL-SMI & MFP-SMI, Mansi Khagaria, Goldenganj-Katihar etc.) over SPJ Division under jurisdiction of Dy.CEE/CON/N/SPJ. e-Tender No. EL-C-N-MHX-ETEN-2-26-27 **(2)अनुमानित कार्य की लागतः** रू. 1,41,56,800.00 **(3)जमा किए जाने वाले ब्याना राशि एवं निविदा प्रपत्र का मूल्यः** NIT के अनुसार एवं रू. शून्य **(4)कार्य पूर्ण करने का समयः** 36 माह **(5)निविदा बंद होने का तिथि एवं समयः** 29.10.2026 दोपहर 12.00 बजे तक **(6)वेबसाइट विवरण नोटिस बोर्ड का स्थान जहां निविदा की पूर्ण जानकारी देखा जा सकता है तथा कार्यालय का पता जहां से से निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता हैः** आई.आर.इ.पी.एस बेवसाईट **www.ireps.gov.in** पर पर निविदा डाउन लोड किया जा सकता है। एवं सीईई/कॉन महेन्द्रुघाट, कार्यालय सीएओं/कॉन ईसीआर ऑफिस परिषर, पटना 800004 में निविदा पट पर देखा जा सकता है। उपरोक्त ई–निविदा के ई–निविदा दस्तावेज सहित संपूर्ण जानकारी वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध होगे एवं मुख्य विद्युत अभियंता, निर्माण/उत्तर महेंद्रूघाट/पटना के कार्यालय मे देखा जा सकता है। निविदा सूचना में पाए गए किसी भी विसंगति विवरण के मामले में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि इस ई–निविदा के लिए जारी कोई भी परिवर्तन/शुद्धिपत्र की ओर ध्यान देने के लिए वे निविदा बंद होने की अंतिम तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पहले वेबसाईट **http://www.ireps.gov.in** का अवलोकन करें। हिन्दी एवं अंग्रेजी की सूचना में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अंग्रेजी में प्रकाशित सूचना को सही माना जायेगा। **उप मुख्य विद्युत अभियंता/निर्माण/उत्तर पू.म.रे./महेंद्रूघाट/पटना**

पीआर/1137/सीएन/एन/एमएचएक्स/सीओएनएसटी/टी/26–27/56

पूर्व मध्य रेल

ई निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के तरफ से निम्न कार्य हेतु ई निविदा आमंत्रित की जाती है। **ई.निविदा सं:** पूमरे–मुप्रअ–नि–द–ईपीसी 04–26–27 **कार्य का नाम:** झाझा–बाटिया नई लाइन परियोजना'' के अंतर्गत, 25T इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड लोडिंग के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) कार्य। इसमें अर्थवर्क, ब्लैकटिंग, छोटे और बड़े पुल, LHS/RUB, ROB, ट्रैक का काम, प्लेटफॉर्म का काम, स्टेशन बिल्डिंग, FOB, अन्य इमारतें और इनसे जुड़े विविध कार्य शामिल हैं। यह कार्य चेनज 1.350 किमी (झाझा को छोड़कर) से 22.000 किमी (बाटिया स्टेशन सहित) तक है (कुल 20.650 रूट किमी, 27.888 ट्रैक किमी)। **अंकलित मूल्य (रू.):** 4399781706.58 **निविदा प्रपत्र का लागत (रू.):** 0.00 **अग्रधन राशि (रू.):** 87995600/– **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 810 दिन **निविदा बंद होने की तिथि एवं समय:** 11.02.2027 at 15:30 बजे। सी ई–निविदाओं के तहत डाक/कुरियर फैक्टठ या व्यक्तिगत रूप से भेजा गया कोई भी मैनुअल निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा, भले ही यह फर्म (Firm) के लेटर हेड एवं वियत समय पर प्राप्त किया गया हो। ऐसे राभी मैनुअल निविदा अस्वीकार्य होगा तथा उसके बारे में बिना किसी विचार के तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त ई–निविदा दस्तावेज सहित की संपूर्ण जानकारी वेबसाइटः **http//www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। **द्रष्टव्यः** निविदा सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। प्रत्याशित निविदादाताओं को यह सलाह दी जाती है कि इस ई–निविदा के लिए जारी कोई भी परिवर्तन/शुद्धिपत्र की ओर ध्यान देने के लिए वे निविदा बंद होने की अंतिम तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले वेबसाइट **www.ireps.gov.in** का अवलोकन करें। कोई भी परिवर्तन शुद्धिपत्र सिर्फ IREPS वेवसाइट पर ही उपलब्ध किये जाएंगे। **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण**

पीआर/1140/सीएन/एमएचएक्स/सीओएनएसटी/टी/26–27/44

पूर्व मध्य रेल

खुली ई-निविदा सूचना

सं0 T-SEE-GSU-2026-27-07

CAO/CON/RSP/MHX भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई–निविदा आमंत्रित करते हैं। ई–निविदा की अंतिम तिथि 18.11.2026 को 15:00 बजे तक निर्धारित है। ई–निविदा संबंधी एवं निविदा प्रपत्र का अवलोकन वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर किया जा सकता है। **(1)Name of works:** Balance work & other miscellaneous works of Amrit Bharat Stations Scheme at Lakhminia, Sahebpur Kamal, Khagaria, Mansi, Maheshkhunt, Naugachhia, Karhagola Road, Begusarai and other stations under Sonpur Division. **(2)Advertised Value (In Rs.):** 1235437618.68 **(3)Bid Security/ Earnest Money (In Rs.):** 24708800.00 **(4)Date and time of the Pre-bid conference:** 23/10/2026, 11:30 hrs. **(5)Tender Closing Date Time:** 18/11/2026, 15:00 hrs. उपरोक्त निविदा सूचना वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा संबंधी रेल का अधिकार–किसी भी निविदा को स्थगित करने/निरस्त करने अथवा निविदा मे सुधार करने हेतु रेलवे का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा दाता का इसमे कोई दावा मान्य नही होगा। **उप मुख्य परियोजना प्रबंधक गतिशक्ति/सोनपुर**

पीआर/1144/एसईईजीएस/जीएस/टी/26–27/36

पूर्व मध्य रेल

खुली ई-निविदा सूचना

सं0 T-SEE-GSU-2026-27-06

CAO/CON/RSP/MHX भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए 'खुली ई–निविदा आमंत्रित करते हैं। ई–निविदा की अंतिम तिथि 11.11.2026 को 15:00 बजे तक निर्धारित है। ई–निविदा संबंधी एवं निविदा प्रपत्र का अवलोकन वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर किया जा सकता है। **(1)Name of Works:** Balance work & other miscellaneous works of Amrit Bharat Stations Scheme at Dighwara, Sonpur (1st & 2nd entry), Hajipur (1st & 2nd entry), Shahpur Patoree, Bhagwanpur, Ramdayalu Nagar, Dalsingh sarai, and other stations under Sonpur Division. **(2)Advertised Value (In Rs.):** 969889324.10 **(3)Bid Security/ Earnest Money (In Rs.):** 19397800.00 **(4)Date and time of the Pre-bid conference:** 22/10/2026, 11:30 hrs. **(5)Tender Closing Date Time:** 11/11/2026, 15:00 hrs. उपरोक्त निविदा सूचना वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा संबंधी रेल का अधिकार–किसी भी निविदा को स्थगित करने/निरस्त करने अथवा निविदा में सुधार करने हेतु रेलवे का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा दाता का इसमे कोई दावा मान्य नही होगा। **उप मुख्य परियोजना प्रबंधक गतिशक्ति/सोनपुर**

पीआर/1138/एसईई/जीएस/टी/26–27/36

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 का प्रवेश पत्र निर्गमन संबंधी आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा समिति की विज्ञप्ति संख्या– पी०आर० 183/2026, पी०आर० 197/2026 एवं पी०आर० 208/2026 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र **दिनांक 18.10.2026 के अपराह्न से** समिति की वेबसाईट **https://stetregistration.cbrt.co.in** पर उपलब्ध रहेगा।

2. **संबंधित अभ्यर्थी अपने यूजर आई॰डी॰ एवं पासवर्ड का उपयोग कर समिति के उक्त वेबसाईट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे।**

3. उक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे प्रवेश पत्र में अंकित दिशा–निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा उसका पालन करेंगे। साथ ही प्रवेश पत्र में अंकित तिथि, समय एवं परीक्षा केन्द्र के अनुसार ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होंगे।

विज्ञप्ति संख्या– पी.आर. 244/2026 — परीक्षा नियंत्रक (विविध)

AXIS BANK — एक्सिस बैंक लिमिटेड — मांग सूचना

शाखाः पटना आरएसी। पताः द्वितीय तल, सीता-ऊषा स्क्वायर, कंकड़बाग मुख्य मार्ग, कंकड़बाग, पटना–800020

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान में चूक की है और उक्त ऋण सुविधाएं गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गई हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर मांग सूचनाएं जारी की गई थीं, किंतु वे तामील नहीं हो सकीं; अतः इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उन्हें इसके बारे में सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / जमानतकर्ता का नाम एवं पता	बंधक संपत्ति का विवरण	ए) मांग सूचना की तिथि बी) एनपीए की तिथि	बकाया ऋण राशि	मांग सूचना की तारीख तक बकाया राशि
1.	श्री अरविंद कुमार (उधारकर्ता) पिताः श्री नंदलाल पांडे; श्री नंद लाल पांडे (सह-आवेदक/उधारकर्ता) पिताः श्री यज्ञ नंद पांडे; दोनों निवासीः बिशुनपुर जीवनारायण, बिशुनपुर, शहर–मुजफ्फरपुर, डाकघर–खुटाहीं (ग्यासपुर), जिला–मुजफ्फरपुर, शिव मंदिर के निकट, बिहार–843107	गैर-आवासीय भूमि एवं भवन का संपूर्ण भूखंड, क्षेत्रफल 10 [illegible] मूल पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 6283 दिनांक 18/11/2020 के अनुसार श्री अरविंद कुमार, पुत्रः श्री नंदलाल पांडे, पुत्रः श्री यज्ञ नंद पांडे [illegible] जीवनारायण, बिशुनपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार–843104)। मौजा–बिशुनपुर जीवनारायण, थाना– पारू, खेसरा संख्या [illegible] जिला– मुजफ्फरपुर, बिहार [illegible] 18/11/2020 के अनुसार [illegible] रामनाथ पांडे, पूर्वः सोलिंग [illegible]	ए) 16-12-2025 बी) 01-11-2025	रु. 11,70,000/- (ऋण खाता सं. 920030070890558 हेतु) एवं रु. 30,000/- (ऋण खाता सं. 920030070890532 हेतु)	रु. 13,46,848.91/- [illegible]
2.	श्री उमेश पासवान (उधारकर्ता) [illegible] मुजफ्फरपुर, बिहार–843115	गैर-कृषि आवासीय भूमि एवं भवन का संपूर्ण भूखंड [illegible]	ए) 28-07-2025 बी) 31-08-2024	रु. 6,70,000/- (ऋण खाता सं. 923030056023519 हेतु) एवं रु. 30,000/- (ऋण खाता सं. 923030056023522 हेतु)	रु. 7,16,109/- [illegible] रु. 7,45,429/- [illegible]
3.	श्री सलीन कुमार झा (उधारकर्ता) [illegible] मधुबनी, बिहार–847231	गैर-कृषि भूमि एवं उस पर निर्मित भवन का संपूर्ण भूखंड [illegible]	ए) 20-06-2025 बी) 31-10-2024	रु. 22,50,000/- (ऋण खाता सं. 921030044444862 हेतु) एवं रु. 30,000/- (ऋण खाता सं. 921030044444891 हेतु)	रु. 25,62,367.90/- [illegible] रु. 25,95,461.90/- [illegible]

[illegible]

दिनांकः 18-10-2026 — ह०– प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः मुजफ्फरपुर एवं मधुबनी — एक्सिस बैंक लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! — punjab national bank ...the name you can BANK upon !

मंडल कार्यालय - चम्पारण, SAM विभाग, उज्जवल कॉम्पलेक्स, चाँदमारी चौक, मोतिहारी-845401, ई-मेल : cochamprecovery@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना. एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को संरक्षित / सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है. संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदा(रों) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेचा जाएगा. सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची

ई नीलामी की तिथि : 03.11.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 03.11.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक)

क्रम सं0	शाखा का नाम / खाता का नाम और खाता संख्या / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) के बंधककर्ता]–	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2)के तहत मांग सूचना की तिथि बी) बकाया राशि 13(2) नोटिस तिथि को सी) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कब्जा तिथि डी) कब्जे की प्रकृति- प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	ए)सुरक्षित मूल्य- बी) ईएमडी सी) बीड वृद्धि की राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण– सुरक्षित लेनदार
1	पीएनबी-बेलवा(103420) मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स (1034250025106) **मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स,** (प्रो0–सिद्धार्थ शंकर) कोइरिया टोला, मेन रोड, पो0 एवं थाना–रक्सौल, पूर्वी चम्पारण–845301. **सिद्धार्थ शंकर सिंह,** पिता–विजय शंकर सिंह ग्राम–बैरिया, रामगढ़वा, पो0–रक्सौल, पूर्वी चम्पारण–845433 **पुष्पा देवी,** पति–सिद्धार्थ शंकर सिंह ग्राम–बैरिया, रामगढ़वा, पो0–रक्सौल, पूर्वी चम्पारण–845433.	भूमि जिसका मौजा–रक्सौल गाँधीनगर, आश्रम रोड, थाना एवं अंचल–रक्सौल, जिला–पूवी चम्पारण, वार्ड नं0–09, थाना नं0–07, तौजी नं0–951 जिसका (1) सेल डीड नं0–1817 दिनांक 09.06.2011 जो कि नामित है पुष्पा देवी पति–सिद्धार्थ शंकर सिंह जिसका खाता नं0–112, खेसरा नं0–901, क्षेत्रफल–8.5 धुर एवं 4.25 डिसमील. चौहद्दी : उत्तर–अमिका यादव, दक्षिण–राम अयोध्या यादव, पूरब–हाल बैदार नं0 हाजा, पश्चिम–राजेश प्रसाद एवं (2) सेल डीड नं0–3384 दिनांक 14.11.2011 जो कि नामित है सिद्धार्थ शंकर सिंह पिता–विजय शंकर सिंह जिसका खाता नं0–112, खेसरा नं0–899, क्षेत्रफल – 06 धुर एवं 3 डिसमिल. चौहद्दी : उत्तर–कमल यादव, दक्षिण–सोनालाल प्रसाद, पूरब–रामेश्वर लाल मस्कारा एवं केनाल, पश्चिम–रोड.	ए) 17.05.2017 बी) रू0 16,40,689/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क पूर्ण भुगतान होने तक सी) 29.12.2020 डी) प्रतिकात्मक	ए) रू0 24,18,000/- बी) रू0 2,41,800/- सी) रू0 20,000/-	03.11.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	हमें ज्ञात नहीं

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.
1. संपत्तियां ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेची जा रही हैं.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **03.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान–मोतिहारी
दिनांक : 14.10.2026

श्री रंजीत कुमार
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! — punjab national bank ...the name you can BANK upon !

SAM विभाग, मंडल कार्यालय - चम्पारण, उज्जवल कॉम्पलेक्स, चाँदमारी चौक, मोतिहारी-845401, ई-मेल : cochamprecovery@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना. एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को संरक्षित / सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है. संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदा(रों) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेचा जाएगा. सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची

ई नीलामी की तिथि : 03.11.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 03.11.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक)

क्रम सं0	शाखा का नाम / खाता का नाम और खाता संख्या / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) के बंधककर्ता]–	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2)के तहत मांग सूचना की तिथि बी) बकाया राशि 13(2) नोटिस तिथि को सी) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कब्जा तिथि डी) कब्जे की प्रकृति- प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	ए)सुरक्षित मूल्य- बी) ईएमडी सी) बीड वृद्धि की राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण– सुरक्षित लेनदार
1	पीएनबी-बेलवा(103420) मेसर्स आयुष जिपर को0 (1034208700000265) मेसर्स आयुष जिपर को0, प्रो0 सुनील कमार पिता–धुपलाल महतो, तुमरिया टोला, नियर भकुड़ बारा, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण–845305	आवासीय भूमि एवं मकान जिसका कुल क्षेत्रफल–8 धुर या 1800 वर्गफीट है जिसका मौजा–पनटोका उर्फ तुमरिया टोला, थाना एवं अंचल–रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, थाना नं0–06, वार्ड नं0–04, खाता नं0–101, खेसरा नं0–838 जिसका (1) सेल डीड नं0–803, दिनांक 15.02.2016, क्षेत्रफल - 04 धुर एवं चौहद्दी : उत्तर - देवी दयाल, दक्षिण – रास्ता,	ए) 18.10.2025 बी) रू0 40,79,031.30/- 30.09.2025 को + ब्याज एवं अन्य शुल्क पूर्ण भुगतान होने तक सी) 03.01.2026 डी) प्रतिकात्मक	ए) रू0 44,23,000/- बी) रू0 4,42,300/- सी) रू0 20,000/-	03.11.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	हमें ज्ञात नहीं है

पूरब–पूनम देवी, पश्चिम–रास्ता (2) सेल डीड नं0–3159 दिनांक 23.07.2019 क्षेत्रफल–04 धुर, चौहद्दी : उत्तर - दुलारी देवी पति–मुन्नीलाल महतो, दक्षिण–मुस्तरी, पूरब–पूनम देवी पति–आनंद मिश्रा, पश्चिम–रास्ता, बंधककर्ता : सुनील कुमार पिता–धुपलाल महतो उर्फ धुपलाल प्रसाद.

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.
1. संपत्तियां ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेची जा रही हैं.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **03.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान–मोतिहारी
दिनांक : 14.10.2026

श्री रंजीत कुमार
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002